भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 783
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की खंडपीठ

783. श्री अमरा राम :

श्री शफी परम्बिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का राजस्थान के उदयपुर जिले और केरल के तिरूवनंतपुरम जिले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने पद रिक्त हैं और उक्त पद किस तिथि से रिक्त पड़े हैं तथा उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान न्यायालय को किन न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और तत्संबंधी क्या परिणाम निकला है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालय की पीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 379/2000 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और संबंधित उच्च न्यायालय जिनसे उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल अपेक्षित है के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के साथ आवश्यक व्यय और बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने की सहमति के साथ राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय और तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की पीठें स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) : 25.11.2024 तक, उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के मुकाबले 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिससे 02 पद रिक्त हैं। उच्च न्यायालयों में 1122 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के मुकाबले 757 कार्यरत हैं और 365 पद रिक्त हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्टूबर, 1998 सलाहकार राय (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) के साथ पठित 6 अक्टूबर, 1993 के उसके निर्णय (दूसरा न्यायाधीशों का

मामला) के अनुसरण में, 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है,

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से प्रारंभ किया जाता है। प्रस्तावों पर राज्य संवैधानिक प्राधिकारियों के विचार भी प्राप्त किए जाते हैं। सिफारिशों पर आगे ऐसी अन्य रिपोर्टों के प्रकाश में विचार किया जाता है जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो सकती हैं। इसके पश्चात् पूरी सामग्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनकी सलाह के लिए भेज दी जाती है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा अनुशंसित किए गए हों।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसलिए, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक समय का उपदर्शित नहीं किया जा सकता है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को अपने पूर्ण न्यायालय की बैठक में दो संकल्पों को अपनाया, अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को अधिकथित करता है, और (ii) उन न्यायाधीशों के खिलाफ उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए "इन-हाउस प्रक्रिया" जो न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन में सम्मिलित किए गए मूल्यों सहित न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करते हैं।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "इन-हाउस प्रक्रिया" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को भी उचित कार्रवाई के लिए यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा जाता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को देखते हुए, सरकार न्यायालयों से प्राप्त शिकायतों का अभिलेख नहीं रखती ।

****